10/3/21

पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) व 151 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65-भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर बहस की गई।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) -</u>

बहस से पूर्व वकील वादी द्वारा वादीया के कथित पति अतरसिंह की नौकरी के पेंशन का पत्र एवं उसकी मृत्यु के उपरांत वादीया के नाम पेंशन स्वीकृति पत्र की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत की गई। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादिया को प्रतिमाह पेंशन प्राप्ति के समय अथवा अन्य कारणों से उक्त मूल दस्तावेजात की आवश्यकता रहती है, अतः उक्त कारण से मूल प्रतियों की बजाय फोटोप्रतियाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 13:51:02 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावेजात को फर्जी एवं कूटरचित बताते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। परन्तु वकील प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि प्रस्तुत दस्तावेजात को फर्जी अथवा कूटरचित कहा जा सके।

फलत: न्यायालय की राय में हस्तगत वाद के गुणावगुण पर निर्णयन के लिए प्रस्तुत पेंशन पत्र व पेंशन स्वीकृति पत्र के दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 भा. साक्ष्य अधिनियम :-

वकील वादी/प्रार्थी ने अतर सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड का गुम हो जाने का कथन कर उक्त की प्रतिलिपियों को द्वितीयक साक्ष्य में पेश करने की अनुमति बाबत हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजात को फर्जी व कूटरचित बताते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

उक्त के संबंध में न्यायालय [illegible] है कि -

(i) वकील वादी/प्रार्थी यह सिद्ध [illegible] में असफल रहे हैं कि उक्त दस्तावेजा[illegible] के खोने में उनके व्यतिक्रम अथवा उपेक्षा की भूमिका किस प्रकार नहीं थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 13:51:02 IST
Reason: SelfAttested

(ii) संबंधित सरकारी विभागों से उक्त के संबंध में प्रमाणित प्रतिलिपियाँ / प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने बाबत क्या प्रयास किए गए, यह सिद्ध करने / बताने में वकील प्रार्थी / वादी असफल रहे हैं।

परन्तु वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा में धारा 65 के प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में अतरसिंह की अंकित मृत्यु की दिनांक के तथ्य को स्वीकार किया गया है, अतः मृत्यु प्रमाण पत्र, अतरसिंह को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है।

अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम एतद्द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करता है एवं प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश करने की अनुमति प्रदान करता है तथा राशन कार्ड की प्रतिलिपि को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश करने की प्रार्थना को खारिज करता है।

निर्णयस्वरूप [illegible] किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 12.4.21 को पेश हो।

[signature]
10/3/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 13:51:02 IST
Reason: SelfAttested